न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—105/2012 (2012/00068) वाद पत्र

उनवान

1—सांवरमल पिता पेमा बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—उगमी पत्नि पेमा बांगरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—रूपी पत्नि धन्ना बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर **मृत्यु होने से नाम डिलिट**
2—भैरू पिता घीसा बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—देवीलाल पिता रामा बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—देवा पिता रामा बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—बरदा पिता मांगु बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—रामप्यारी पत्नि भैरूलाल बागरिया निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—कोशल्या देवी पत्नि उदयलाल भट्ट निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—श्रीमान् तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण
2. मनीष — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 25.11.2021

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रेवाड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य होकर रामा की संतान है रामा की मृत्यु सन् 1989 में हो गई तथा पेमा रामा से 4—5 वर्ष पूर्व मौत हो गया पेमा के वारीसान वादीगण है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौरूषी कृषि भूमियां ग्राम रेवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में साबिक आ.स. 378/4 रकबा 5 बीघा तथा ग्राम बोरियापुरा में साबिक आराजी संख्या 703/2 रकबा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें आराजी संख्या 378/4 सम्पूर्ण रामा के नाम तथा आराजी संख्या 703/2 में रामा का 1/2 हिस्सा निहित था, प्रमाण में साबिक जमाबन्दी वादपत्र के साथ प्रस्तुत की है। वादीगण के दादा व ससुर रामा [illegible] हो जाने से उक्त कृषि आराजियात का नामान्तरणकरण दर्ज करते समय रामा के [illegible] पुत्र होना ही अकिंत करते हुए नामान्तरणकरण फैसल कर दिया जबकि रामा के 5 [illegible] थे पेमा की मृत्यु [illegible] से 4—5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। वादीगण मृतक [illegible] के वारीस है जिससे [illegible] का वादग्रस्त आरायिजात में 1/5 हिस्सा है। ना.स. 529 दिनांक 26.05.1990 तथा ना.स. 620 विधिविरूद्व होकर वादीगण के मुकाबले शुरू से नल एण्ड वोइड है। ग्राम बोरियापुरा व रेवाड़ा का नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

भू प्रबन्ध होने से ग्राम रेवाड़ा के नवीन आराजी संख्या 240 रकबा 0.25 है0, आ.स. 241 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 तथा ग्राम बोरियापुरा की आराजी संख्या 934 रकबा 0.16 है0 कायम किये गये प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। वादग्रस्त आ.स. 240, 241 कुल किता 2 कुल 1.08 है0 मे वादी का 1/5 हिस्सा व 934 रकबा 0.16 के 1/2 हिस्से में 1/5 हिस्सा है वादीगण अपने हिस्से पर काबिज होकार काश्त करते चले आ रहे है जिससे वादीगण को अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ड्रिकी जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण 1 से 5 अपने नाम गलत भूमि दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठा कर वादीगण को उनके 1/5 हिस्से की भूमियो से बेदखल करने पर आमादा है तथा विधि विरुद्ध रूप से भूमियों का विक्रय करने पर आमादा है प्रतिवादीगण ने अपनी इस आशय की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण सं. 5 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा ग्राम रेवाडा की आ.स. 240, 241 रकबा 1.08 हैक्ट में से अपने 1/5 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से को प्रतिवादी सं. 6 को दिनांक 22.12.2011 को विक्रय कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 4 ने आ.सं. 240, 241 में से अपने 1/5 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्सा प्रतिवादी स. 7 को दिनांक 06.06.2012 को विकय कर दिया जो गलत होकर अवैध है, प्रतिवादी सं 4 व 5 को अपना 1/5 हिस्सा ही विक्रय करने का अधिकार था अपने स्वामित्व से अधिक हिस्से का किया गया विक्रय शून्य होकर वादीगण के मुकाबले के बेअसर है प्रतिवादी सं 6 व 7 केवल 1/5–1/5 हिस्से के ही खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियो को आगे और विक्रय करने की कोशिश की जा रही है तथा प्रतिवादीगण गलत विधी विरुद्ध शुन्य विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को उनके 1/5 हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है, जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधात्रा से रोका जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई कि ग्राम रेवाड़ा की वादग्रस्त आ.स. 240, 241 रकबा 1.08 है0 में 1/5 हिस्सा तथा ग्राम बोरियापुरा की आ.स. 934 रकबा 0.16 है0 के 1/2 हिस्से के 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तदानुसार डिकी जारी फरमाई जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान फरमाया जाए साथ ही बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमाई जाए कि उक्त वादवर्णित आराजी को कीसी अन्य को बय बक्षीस नही करे तथा वादीगण के 1/5 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दंखल से करावे तथा वादीगण को बेदखल नही करे यदि दौराने वाद वादीगण को र दिया जावे तो वादीगण को पुनः कब्जा दिलाया जाए तथा प्रतिवादी की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रस्तुत वाद पत्र के 05.12.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। न की पालना मे प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 6 व 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एंव प्रतिवादी संख्या 8 फौरमल पक्षकार होने से कोई राहत नही चाही है।

प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने अपने जवाब में अकंन किया कि वादीगण द्वारा जो सजरा पेश किया वो पूर्णतया गलत है वादीगण कभी हमारे परिवार का हिस्सा नही रहे है। उक्त सजरे में पेमा को रामा का पुत्र बताया जो स्वीकार है लकिन सजरे में पेमा की पत्नि उगमी व पुत्र सावंरलाल को बताया वह गलत होकर अस्वीकार है क्योकि उगमी पेमा की मृत्यु से पहले ही नाते चली गई एवं वादी संख्या 1 जो पेमा का पुत्र बताया जो सर्वथा गलत है। वादीगण ने पेमा का पुत्र बताया तथा सावंरमल की आयु 22 वर्ष है जबकि पेमा की मृत्यु हुए वादीगण के कथनानुसार 28 वर्ष हो चुके है। वादीगण पेमा का पुत्र नही होकर उगमी जहां नाते गई उसका पुत्र है जिससे पेमा की सम्पति में वादीगण का कोई अधिकार नही है। पेमा की मृत्यु पेमा के पिता से 4–5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है तथा वादीगण का कब्जा नही है। नामान्तरणकरण संख्या 529 दिनांक 26.05.1990 पूर्ण रूप से वैध तरीके से खोला गया है। वादीगण का रामा की भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है वादपत्र खारीज योग्य है। प्रतिवादी संख्या 5 ने उक्त आराजियात में निहित अपने 1/4 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 6 रामप्यारी को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 6 को सौंपा है। एवं प्रतिवादी संख्या 7 ने भी अपना निहित हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया है। एवं दोनो का नामान्तरण हो चुका है जिससे वादग्रस्त आराजी संख्या 240 व 241 के 1/2 हिस्से पर वक्त क्रय काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। पेमा की मृत्यु अपने पिता रामा की मृत्यु से पहले हो चुकी थी तथा उगमी नाते चली गई एवं सावरलाल की उम्र 22 वर्ष बता रखी है जबकि पेमा की मृत्यु को 28 वर्ष हो चुके है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पक्ष में किया गया विक्रय पूर्ण रूप से जायज होकर प्रभावशाली है प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के नाम राजस्व रेकार्ड बतौर खातेदार दर्ज हो चुके और खातेदार के विरूद्व वादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः वाद पत्र खारीज फरमाया जावे।

वाद के समर्थन में वादीगण अधिवक्ता द्वारा सांवरलाल पिता पेमा बागरिया मोहन पिता जीवा जाति बागरिया के बयान कराये गयें। वादीगण के बयानो की जिरह हेतु प्रतिवादी अधिवक्ता को काफी अवसर देने के बाद भी जिरह हेतु उपस्थित नही होने से जिरह बन्द की जाकर प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादवर्णित भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। वादीगण खातेदार रामा के विधिक वारीस है किन्तु वादीगण के पिता एवं पति श्री पेमा खातेदार रामा के जीवनकाल में ही फोत होने से रामा की मृत्यु के बाद उनकी विरासत के समय प्रतिवादीगण के नाम पर ही दर्ज कर दिया जिससे वादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज नही हुआ वादवर्णित भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा है जिसे वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में डिक्री फरमाई जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड और वादीगण द्वारा प्रस्तुत बयानो आदि का अवलोकन करने पर पाया कि वादवर्णित भूमि का मूल खातेदार रामा था और रामा के विधिक वारीसान में वादीगण द्वारा उसके पुत्र के रूप में पेमा धन्ना मांगु देवी और देवा होना सजरे में दर्शाया गया है और इस सजरे को प्रतिवादी द्वारा भी अपने प्रस्तुत जवाब में सही होना स्वीकार करते हुए वादीगण को पेमा के वारीसान नही माना है जबकि वाद में स्वतंत्र गवाह श्री मोहन पिता जीवा बागरिया के द्वारा अपने बया न में कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व वादीगण के मूल पुरूष रामा थे। रामा के 5 पुत्र पेमा, धन्ना, मांगु, देवीलाल, देवा हुए और वादीगण पेमा के वारीस है। वादीगण एवं प्रतिवादी 1 से 5 की मौरूषी जायदाद ग्राम रेवाड़ा व बोरियापुरा में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा होकर वादीगण अपने 1/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के पिता व पति की मृत्यु मूल खातेदार रामा से पहले हो जाने से वादीगण अपने पीहर व ननिहाल में करने से वादग्रस्त भूमियो का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में नही किया गया जबकि वादी सांवरमल पेमा का जायन्दा पुत्र है और वादिया उगमी पेमा की पत्नि है। प्रतिवादी 1 से 5 द्वारा वादीगण को परेशान करने से वादिया अपने पीहर में निवास कर अपने पुत्र का पालन पोषण करना बयानो में बताया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नामान्तकरण एवं जमाबन्दीयो की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। उपरोक्त विवरण से वादीगण द्वारा अपने वाद को प्रमाणित कराया है ऐसी स्थिति वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में अंकित आराजी संख्या 240 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 241 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि में वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं ग्राम बोरियापुरा में स्थित आराजी संख्या 934 रकबा 0.16 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त 1/2 हिस्से मे से वादीगण को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। प[illegible] हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

25.11.2021

सुन्दरलाल बम्बोड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–105/2012 (2012/00068) वाद पत्र

उनवान

1–सांवरमल पिता पेमा बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–उगमी पत्नि पेमा बांगरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–रूपी पत्नि धन्ना बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर **मृत्यु होने से नाम डिलिट**
2–भैरू पिता घीसा बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–देवीलाल पिता रामा बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–देवा पिता रामा बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–बरदा पिता मांगु बागरिया निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–रामप्यारी पत्नि भैरूलाल बागरिया निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–कोशल्या देवी पत्नि उदयलाल भट्ट निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–श्रीमान् तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में अकिंत आराजी संख्या 240 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 241 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि में वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं ग्राम बोरियापुरा में स्थित आराजी संख्या 934 रकबा 0.16 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त 1/2 हिस्से मे से वादीगण को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 25.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

25.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा